न्यायालय राजस्व मण्डल,मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष : एम0के0सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 05-तीन/1989 - विरुद्ध आदेश दिनांक 19-12-1988 - पारित व्दारा - कलेक्टर जिला विदिशा - प्रकरण कमांक 21/1987-88 निगरानी

नारायण सिंह पुत्र झुन्नीलाल दांगी
निवासी ग्राम पीपरहूटा तहसील
व जिला विदिशा , मध्य प्रदेश -- आवेदक

विरुद्ध

---अनावेदक

मध्य प्रदेश शासन

(आवेदक के अभिभाषक श्री एस0के0अवस्थी)
(अनावेद के अभिभाषक श्री डी0के0शुक्ला)

आ दे श

(आज दिनांक 2 मार्च ,2.016 को पारित)

यह निगरानी कलेक्टर जिला विदिशा द्वारा प्रकरण कमांक 21/1987-88 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 19-12-1988 के विरुद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत हुई है।

2/ प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि राजस्व निरीक्षक वृत्त विदिशा ने अनुविभागीय अधिकारी विदिशा को प्रतिवेदन दिनांक 19-9-85 प्रस्तुत कर बताया कि आवेदक के परिवार में 67.651 हैक्टर (167.04 एकड़) भूमि है जबकि उसे 54 एकड़ भूमि रखने की पात्रता है। इस पर से अनुविभागीय अधिकारी विदिशा ने कृषि जोत उच्चतम सीमा अधिनियम के अंतर्गत दिनांक 20-9-85 को प्रकरण कमांक 6 अ-90 (बी-3)/1985-86 पंजीबद्ध किया एंव

अधिनियम की धारा 10 अनुसार निर्धारित प्रपत्र पर नोटिस जारी करने के आदेश दिये। आवेदक व्दारा दिनांक 30-4-86 को नोटिस का उत्तर प्रस्तुत किया तथा आपत्ति प्रस्तुत की कि पूर्व में उसके विरूद्ध प्र0क0 2003 : 1974-75 अ 90 (बी-3) चला था जिसमें तत्समय पदस्थ सक्षम अधिकारी ने आदेश दिनांक 2-9-76 से आवेदक पर कृषि सीलिंग से अधिक भूमि न होना पाकर प्रकरण समाप्त कर दिया है जिसके कारण इस प्रकरण को भी खारिज किया जाय। अनुविभागीय अधिकारी विदिशा (सक्षम अधिकारी) ने आवेदक को सुनकर अंतरिम आदेश दिनांक 31-5-86 पारित किया एंव आवेदक पर ड्राफ्ट स्टेटमेंट जारी करने का निर्णय लिया। इस आदेश के विरूद्ध कलेक्टर विदिशा के समक्ष निगरानी कमांक 21/1987-88 प्रस्तुत हुई, जिसमें पारित आदेश दिनांक 19-12-1988 से निगरानी निरस्त हुई। इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित तथ्यों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ आवेदक के अभिभाषक का तर्क यह है कि जब आवेदक के विरूद्ध एक वार प्र0क0 2003 : 1974-75 अ 90 (बी-3) में तत्समय पदस्थ सक्षम अधिकारी ने आदेश दिनांक 2-9-76 से कृषि सीलिंग से अधिक भूमि न पाकर प्रकरण निरस्त कर दिया है तब उसी अधिकारी व्दारा उन्हीं आधारों पर पुनः सुनवाई नहीं की जा सकती। अनावेदक के अभिभाषक ने बताया कि जब आवेदक पर प्र0क0 2003 : 1974-75 अ 90 (बी-3) चला था उस समय कृषि सीलिंग से अधिक भूमि नहीं रही होगी, किन्तु जब आवेदक के परिवार में कृषि लिमिट से अधिक भूमि अन्य साधनों से हो गई, तब नवीन प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही प्रारंभ की गई है। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि आवेदक ने वर्ष 1985 से निगरानी करके प्रकरण को 30 वर्ष से अधिक समय गुजार दिये हैं इसलिये प्रकरण का निराकरण शीघ्र किया जाय।

5/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि भले ही आवेदक के विरूद्व पूर्व में कृषि जोत उच्चतम सीमा अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण कमांक 2003 : 1974-75 अ 90 (बी-3) चलकर पात्रता से अधिक भूमि न पाकर प्रकरण निरस्त हुआ हो, परन्तु राजस्व निरीक्षक के प्रतिवेदन कमांक क्यू/रा0नि0/3/वि/94 दिनांक 19-9-85 अनुसार जांच दिनांक को आवेदक के परिवार में 67.651 हैक्टर अर्थात 167.04 एकड़ भूमि होना पाई गई है जबकि कृषि जोत उच्चतम सीमा अधिनियम के अंतर्गत धारक केवल 54 एकड़ भूमि रखने की पात्रता रखता है। इन्हीं कारणों से अनुविभागीय अधिकारी (सक्षम अधिकारी) ने आवेदक के विरूद्व नया प्रकरण दर्ज करके जांच कार्यवाही जारी रखी है। यदि 67.651 हैक्टर अर्थात 167.04 एकड भूमि आवेदक के परिवार को धारण करने की पात्रता है , आवेदक तद्नुसार बचाव प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र है जिसके कारण विचाराधीन निगरानी व्यर्थ होना पाई गई है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन पाये जाने से निरस्त की जाती है एंव कलेक्टर जिला विदिशा द्वारा प्रकरण कमांक 21/1987-88 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 19-12-1988 विधिवत् होने से स्थिर रखा जाता है। यह प्रकरण वर्ष 1985 से लम्बित बना हुआ है अतः अनुविभागीय अधिकारी विदिशा को निर्देश दिये जाते हैं कि उनके न्यायालय का प्रकरण वापिस प्राप्त होने के दिनांक से तीन माह के भीतर अनिवार्य-रूप से निराकरण करें ।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर